बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संoसंo–लoसिंoमोo–सहायक/कoअभिo–312/2019–20– 1290 (मो०) /पटना, दिनांक– 25-06-2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा0प्र0से0,
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

ई0 सुभाष चन्द्र सिंह,
मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

विषयः–**योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**आपका पत्रांक–1285 दिनांक–26.09.2019**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत निविदित 502 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा योजनाओं की सूची प्राक्कलित राशि सहित उपलब्ध करायी गयी थी तथा यह उल्लेख किया गया था कि सभी योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया है।

आपके द्वारा दी गयी सूची एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। बाद में पाया गया कि जिन योजनाओं का BOQ, e-proc site पर Upload किया गया है तथा निविदा निष्पादन पश्चात् जिसका क्रियान्वयन हो रहा है उनमें बहुत सी योजनाओं का नाम त्रुटिपूर्ण है एवं तकनीकी अनुमोदित राशि सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति से कम अथवा ज्यादा है। प्रशासनिक स्वीकृत योजनाओं तथा e-proc site पर Upload की गयी योजनाओं की सूची संलग्न की जा रही है।

उक्त के आलोक में सम्बन्धित अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय कि "वगैर स्थल जांच किये किस परिस्थिति में प्राक्कलन तैयार किया गया।

सम्बन्धित अभियन्ताओं के स्पष्टीकरण के साथ अपना स्पष्टीकरण भी दें कि बिना स्थल जांच कराये, बनाये गये प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन किस परिस्थिति में दिया गया?

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/06/2020

(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\YOJNA KA TAKNIKI-C.E. BHAGALPUR-12-06-2020-.DOCX